



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022022-233714
CG-DL-E-24022022-233714

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151]
No. 151]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 2022/फाल्गुन 5, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2022/PHALGUNA 5, 1943

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी 2022

सा.का.नि 154(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 के साथ पठित धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उड़ान और समुद्रीय संयोजकता नियम, 2018 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उड़ान और समुद्रीय संयोजकता (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उड़ान और समुद्रीय संयोजकता नियम, 2018 के उपाबंध प्ररूप में-

(क) पैराग्राफ 8 में-

(क) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:

“(ii) इक्विटी का ब्यौरा:

भारतीय:.....

विदेशी:

(i) स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश.....

(ii) अन्य.....

कुल.....

(कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कंपनी सचिव/कानूनी लेखापरीक्षक से प्राप्त प्रमाण-पत्र संलग्न करें);

खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात्:

“(iii) स्वचालित मार्ग के अधीन 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऐसे देश की संस्था से है जो भारत की स्थलीय सीमा साझा करता है या भारत में किसी निवेश का हिताधिकारी स्वामी भारत में स्थित है या वह ऐसे किसी देश का नागरिक है तो एफआईपीबी/एफआईपीपी के अनुमोदन की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अपेक्षित है।”

पैराग्राफ 11 में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

“(कक) मैं प्रमाणित करता हूँ कि देश की संस्था/हिताधिकारी स्वामियों जिनकी स्थलीय सीमा भारत से साझा करती है, से निवेश संबंधी मानदंडों सहित विद्यमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के मानदंडों की अनुपालना की गई है।”

[फा. सं. 20-504/2016-एएस-I (पार्ट)]

एस. बी. सिंह, डीडीजी (एएस)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 1211(अ) तारीख 14 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department Of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2022

G.S.R. 154(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 read with section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Flight and Maritime Connectivity Rules, 2018, namely:-

1. (1) These rules may be called the Flight and Maritime Connectivity (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Flight and Maritime Connectivity Rules, 2018, in the form in Annexure,-

(a) in paragraph 8,-

(A) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

“(ii) Equity details:

Indian:

Foreign:

(i) Land Border sharing country.....

(ii) Others

Total

(Certificate from Company Secretary/ Statutory Auditor countersigned by Director duly authorised by the company to be attached).”;

(B) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

“(iii) FDI up to 100% under automatic route. Certified copy of FIPB / FIPP approval is required to be enclosed in case if FDI is from an entity of a country, which shares land border with India or beneficial owner of an investment into India is situated in or is a citizen of any such country.”;

(b) in paragraph 11, after clause (A), the following clause shall be inserted, namely:-

“(AA) I hereby certify that the norms of extant FDI policy including norms related to investment from entity/beneficial owners of the country which shares land border with India have been complied with.”.

[F. No. 20-504/2016-AS-I (Pt)]

S. B. SINGH, DDG(AS)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1211(E), dated the 14th December, 2018.